भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन

Government of India
Department of Space
Indian Space Research Organization
National Remote Sensing Centre
Personnel & General Administration

सं.No.NRSC:P&GA:VIG:ICC/2026 नवम्बर November 05, 2026

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER

विषय: एनआरएससी की आंतरिक समिति (आईसी) का पुनर्गठन – के संबंध में...
Sub: Re-constitution of Internal Committee (IC) of NRSC – reg.

***

30.12.2024 के कार्यालय आदेश संख्या NRSC:P&GA:VIG:ICC/2024 और 19.06.2026 के कार्यालय आदेश संख्या NRSC:P&GA:VIG:ICC/2026 को अधिक्रमण करते हुए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एनआरएससी की आंतरिक समिति (IC) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

In supersession of the Office Order No.NRSC:P&GA:VIG:ICC/2024 dated 30.12.2024 and Office Order No.NRSC:P&GA:VIG:ICC/2026 dated 19.06.2026, the Internal Committee (IC), NRSC to redress the complaints relating to sexual harassment of women at work place is re-constituted as follows:-

1.	डॉ. पी मंजुश्री, समूह निदेशक, एए एवं सीआईजी, आरएसए Dr. P Manjusree, Group Director, AA&CIG, RSA	अध्यक्ष Chairperson
2.	श्रीमती ए वेंकट रमनी, समूह प्रधान, डीपीओजी, डीपीए Smt. A Venkata Ramani, Group Head, DPOG, DPA	वैकल्पिक अध्यक्ष / सदस्य Alt. Chairperson/Member
3.	श्रीमती टी. जयंती, प्रधान, एमआईएसडी, एमएसए Smt. T. Jayanthi, Head, MISD, MSA	सदस्य Member
4.	श्री एंटनी इग्नाटस अमारेष पी, प्रधान, लेखा एवं आईएफए Shri Antony Ignatus Amaresh P, Head, Accounts & IFA	सदस्य Member
5.	श्रीमती सविता सुनकरी, वैज्ञा/इंजी-एसएफ, टीईओजी, एमएसए Smt. Savitha Sunkari, Sci/Engr-SF, TEOG, MSA	सदस्य Member
6.	श्रीमती पी. पद्मावती, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट एनजीओ/एसोसिएशन का प्रतिनिधि) Smt. P. Padmavathi, Kasturba Gandhi National Memorial Trust (Representative of NGO/Association)	बाह्य सदस्य External Member
7.	श्रीमती ए सविता, कार्यालय अधीक्षक Smt. A Savitha, Office Superintendent	सदस्य-सचिव Member-Secretary

2. विचारार्थ विषय Terms of Reference:

(i) समिति द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को विधिवत पंजीकृत किया जाएगा तथा उनकी जांच की जाएगी।
All complaints received by the Committee shall be duly registered and inquired into.

(ii) समिति अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (सीसीए) नियम, 1976 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी।
The Committee shall conduct the inquiry in accordance with the procedure outlined in DOS Employees' (CCA) Rules, 1976.

(iii) समिति को शिकायतों का शीघ्र निपटान करने का लक्ष्य रखना चाहिए तथा ऐसे निपटान के लिए उपयुक्त समय-सारिणी तैयार करनी चाहिए।
The Committee should aim at expeditious disposal of complaints and frame a suitable time schedule for such disposal.

(iv) समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी, भले ही जांच के लिए कोई शिकायत प्राप्त हुई हो या नहीं।
The Committee shall meet at least once in 3 months, irrespective of whether any complaint is received for investigation or not.

(v) जहां तक संभव हो, प्रत्येक मामले/शिकायत की जांच एक (01) माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में इसमें 90 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
As far as practicable, the Inquiry in each case/complaint should be completed within one (01) month and in no case should it take more than 90 days.

(vi) समिति प्रत्येक शिकायत पर निदेशक, एनआरएससी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसकी उसने जांच की है। रिपोर्ट में जांच के निष्कर्ष और सिफारिशें शामिल होनी चाहिए।
The Committee will submit a report to the Director, NRSC on each complaint which has been investigated by it. The report should contain the findings of the investigation and recommendations.

(vii) समिति इस विषय पर भारत सरकार /अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेगी।
The Committee shall exercise powers as per the orders as issued from time to time by Government of India (GOI)/Department of Space (DOS) on the subject.

(viii) समिति अगले वर्ष की 31 जनवरी तक या उससे पहले प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में निदेशक, एनआरएससी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
The Committee shall submit an Annual Report to Director, NRSC about the complaints received and the action taken thereon on or before 31st January of the following year.

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

[पवन कुमार एम वी Pavana Kumar M V]
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वीडीएलएस Sr. Administrative Officer, VDLS

सेवा में To,

समिति के अध्यक्ष और सदस्य
Chairperson and Members of the Committee.

सूचनार्थ प्रति CFI:
निदेशक, एनआरएससी Director, NRSC
सह निदेशक, एनआरएससी Associate Director, NRSC
नियंत्रक, एनआरएससी Controller, NRSC
} सादर सूचनार्थ For kind information